

दिनांक	आज्ञा पत्र
3.1/3	<p>पत्रावली पेश) दधि. उमयपल दफिर /  मूल कार्ड में आवेदन 023 R. (3) पर से  पेश होने पर आवेदन को स्वीकार किया जाकर  मूल कार्ड का निस्तारण कर दिया गया है, मूल  कार्ड निस्तारण होने पर प्रायगा-पत्र का कोई  अस्तित्व नहीं है। अतः प्रायगा-पत्र प्रायगाण को  खारिज किया जाता है। पत्रावली में लाल  शुक्रा होकर नम्बर लिखें, बाकी दफतर  है। निर्णय आज में समाप्त सिद्ध किया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, सीकर</p>